The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). A few Universities suggested this item for consideration by the Inter-University Board at its 38th annual meeting held in Bombay in 1963. The Board resolved that both at the post-graduate and the degree level in the faculties of Arts, Science and Commerce, the classification of results should be based on the following percentage of marks:

First Class (or Grade A)—Minimum 60 per cent or higher percentage.

Second Class (or Grade B)—Minimum 50 per cent or higher percentage.

Third Class (or Grade C) (and pass mark)—Minimum 35 per cent or higher percentage.

The Inter-University Board has circulated the proceedings of the meeting to the Universities. It is for the Universities to take such action as they may deem appropriate.

National Biological Laboratory

1799. **Shri Hem Raj**: Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 139 on the 18th November, 1964 and state:

(a) the progress so far made in setting up the National Biological Laboratory near Palampur, Punjab; and

(b) when the work for construction of its building is expected to be started?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The land which was selected for the National Biological Laboratory has not so far been made available.

(b) Does not arise.

---

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported invitation to Sheikh Abdullah to visit China

Shri Kapur Singh (Ludhiana): Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

"The reported invitation to Sheikh Abdullah by the Chinese Government to visit China and the Government of India's reaction thereto."

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): At the dinner given for the Chinese Vice-Premier and Foreign Minister, Marshal Chen Yi, by the Karachi Municipal Corporation on 27th March, 1965, the Pakistan Minister, Mr. Z. A. Bhutto, is reported to have announced that the Chinese Government had invited Sheikh Abdullah to visit China. He added that the decision of the Chinese Government had just been communicated to him by Marshal Chen Yi.

Government have no information whether Sheikh Abdullah has accepted this invitation. The passport issued to him does not carry and endorsement for the People's Republic of China.

Shri Kapur Singh: Has this invitation something to do, not chronologically but politically with the public appreciation by the Sheikh of Chinese support to plebiscite in Kashmir and if so, whether Rs. 35,000 in foreign exchange were granted to his party for anti-India activities abroad?

Shri Swaran Singh: The Chinese and the Pakistanis in this respect have been working in collusion with each other and the suggestion by the hon. Member that from this Sheikh Abdullah might have had encouragement is not unjustified. We think

that this visit will be undesirable and we will convey our strong views in this respect to Sheikh Abdullah.

Shri Kapur Singh: What about Rs. 35,000 in foreign exchange granted to his party?

Shri Swaran Singh: About grant of foreign exchange, this had been given to him for legitimate purposes and not for anti-Indian propaganda, although his activities are such which show that they are undesirable.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): What is legitimate purpose?

Shri Kapur Singh: He has not taken the House in confidence. (*Interruptions*).

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उन्हीं को क्यों स्पेशली दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : जब इतने आदमी हैं तो कोई यह सवाल पूछ लेगा । जवाब तो आने दीजिए ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : शेख अब्दुल्ला के भाषण जो अखबारों में छपते हैं या उनके बारे में जो समाचार कराची और रावलपिंडी से मिलते हैं, उनके अलावा क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसा वाच एंड वार्ड या इंटलीजेंस का मुहकमा है जो शेख अब्दुल्ला की इन एंटी इंडियन एक्टिविटीज के बारे में मिनट मिनट का पता दे कि वह क्या कर रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां, हमको अपने एम्बेसीज के मारफत ठीक पता चलता रहता है कि वह क्या करते हैं, क्या कहते हैं और किस से मिलते हैं ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): May I know whether it is clear from the various speeches by Sheikh Abdullah that he is trying to champion the cause of Pakistan and China abroad and if so, after this invitation which has been given to him by the Chinese Government and conveyed to him by Mr. Bhuttu, may I know whether it is being made absolutely clear to Sheikh Abdullah that if he accepts this invitation, he will be punished under the DIR and put back into the prison, where he was?

Shri Kapur Singh: The Foreign Minister of Pakistan is Mr. Bhutto and not Mr. Bhuttu.

Shri Swaran Singh: It is really extremely unusual that China should extend their invitation for a visit to China by Sheikh Abdullah through the Government of Pakistan.

Shri Hari Vishnu Kamath: You do not know China even now?

Shri Swaran Singh: This by itself is very unusual and something which is a matter of concern. I have already said that we think it will not be desirable for Sheikh Abdullah to go to China.

Shri S. M. Banerjee: Why "desirable"; why not make it clear?

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : नाक रगड़ो ।

Shri Swaran Singh: As to what action is taken will be a matter which will be decided at the appropriate time.

Shri Hari Vishnu Kamath: Has it been conveyed to him?

Shri Swaran Singh: It is not customary to announce before hand what action will be taken.

Shri S. M. Banerjee: You can only arrest the people in Kerala.

Shri Daji (Indore): I would like to know whether the Government of India has conveyed categorically to Sheikh Abdullah that he should not proceed to China as that was not one of the countries visualised when the passport was given?

Shri Swaran Singh: I have already said that we will convey it. We have not done so.

Shri Daji: Why does he say "desirable"? I want a categorical answer. I want to know whether it was done or not?

An hon. Member: Why is there this hesitancy on the part of the Government?

Mr. Speaker: Order, order. My only regret is that Members do frustrate their own objectives by really confusing the issues. If they clearly, silently and patiently put pointed questions they might get more information and attain their objective rather than lose in that confusion what they want to gain. If we proceed in an orderly manner probably their objective will be better served and more information will be forthcoming, and I will see that that information is given. But they should not just create noise—if I may be excused for using that expression—when they are putting questions. If each question is put in a quiet manner and answer obtained, if the answer is not satisfactory certainly I will ask the Government that the answer should be to the point and satisfactory.

Shri Hari Vishnu Kamath: Only a couple of days back you had to pull up a Minister and ask him to give a precise answer. (*Interruptions*).

श्री बागड़ी (हिसार) : इस तरह से माननीय सदस्यों के मुकाबले मंत्री का बचाव हो जाता है ।

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): Sir, I wanted merely to tell the House that our attitude is absolutely clear. We would never like Sheikh Abdullah, nor shall we on our part allow him, to go to China. It is perfectly clear, and this position would be made clear to him also.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) वह चला जाएगा तो आप क्या करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : चार आदमी एक साथ बोलें, इससे क्या होगा ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : सरकार हमको बतलाए कि क्या करेगी, हमको आश्वासन मिलना चाहिए ।

Mr. Speaker: I am rather surprised by the form of questions that are put. Hon. Members should think for themselves whether that can be done and whether it would be advisable.

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): Is it not a fact that the Government has landed itself into this imbroglio because of the initial mistake in allowing Sheikh Abdullah to go on a passport which has no validity of its own and which has thereby encouraged China to offer him invitation through Pakistan because there is no Kashmiri citizen as such?

Shri Swaran Singh: Sir, questions on this issue were put the other day. I had occasion to examine it and I am now in a position to inform the hon. House that it is quite clear from the application of Sheikh Abdullah to the Regional Passport Office that this is the declaration to which he has subscribed:

> "I hereby apply for an Indian passport for travel abroad. I solemnly declare that I have not lost, surrendered or been deprived of my Indian citizenship."

This is the declaration to which he has subscribed and he has signed it.

Shri Hari Vishnu Kamath: How did he fill the form. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order.

जो उनके पास तथ्य हैं वह तो सुनें ।

Shri Swaran Singh: To this declaration he has clearly subscribed. It is true that in the subsequent column at one place, as I stated the other day, he did describe himself as a Kashmiri Muslim. In his first application he described himself as a first-class subject of the State of Jammu and Kashmir. (*Interruptions*). Sir, this is not a point for laughter. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order. Information is wanted and he is giving what is put down there. They should wait until he has given the information and then criticise or make comments. But they are not prepared to listen to him. They do not seem to want the information which is useful to them for making comments. Even before he has given the information there are interruptions. After all, he is giving what is in his possession.

Shri Swaran Singh: This description was given in the column against the nationality of his father. It appears that in Jammu and Kashmir there are two classes of citizens. In the passport application there are columns for the nationalities of father and mother. It is in that context that he has referred to first class citizen. It is not a matter for laughter. It is a factual statement.

श्री राम सेवक यादव (बारांबकी) : अध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.........

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, क्या आप उन्हें जवाब भी नहीं देने देंगे ? पहले उनकी बात पूरी सुन लीजिये पीछे अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाइयेगा ।

Shri Swaran Singh: About the column on his own nationality, I have already given the information and clarified the position. This should have been checked. But, unfortunately, it was not checked. And it is our intention that in future we should insist that all these columns are properly filled in.

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय सवाल का साफ़ साफ़ जवाब देने के बजाय इस तरह से जबाब दे रहे हैं मानो वे अदालत में कोई क़ानूनी शक्ल की बात रख रहे हों, कुछ उसी तरह की चीज वे सदन के सामने रख रहे हैं और प्रश्न का सही और साफ उत्तर नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक कालम में जब शेख ने लिख दिया कि वह काश्मीरी नागरिक हैं । अगर कोई दूसरा पासपोर्ट मांगता तो उसी कालम को लेकर उस पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाता । प्रश्न बिल्कुल सीधा है । पासपोर्ट आफिस ने उसे वापिस भी कर दिया था इसलिए यह बहस का सवाल नहीं है कि पहले कालम में क्या लिखा था और दूसरे में क्या लिखा, सवाल तो सीधा यह है कि शेख अब्दुल्ला ने अपने को हिन्दुस्तान का शहरी क़रार दिया या नहीं दिया ? मैं चाहता हूं कि इस मौके पर प्रश्न का सीधा उत्तर दिया जाय और सफ़ाई के साथ दिया जाय । इसमें इस तरह से दलीलें देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ।

Shri Alvares (Panjim): In view of Sheikh Abdullah's stand on Kashmir, it is evident that the invitation by China, conveyed through Pakistan, is an indication of fresh poltical offensive against India, involving the territory of Kashmir. Under such circumstances, may I know if Government intends to inform all their Embassies abroad not to endorse the passport of Sheikh Abdullah to China?

Shri Swaran Singh: The Prime Minister has quite clearly stated that he will not permit him to go to China. So, there is no question of any endorsement being made. There will not be any endorsement.

Shri Hem Barua (Gauhati): Since this invitation to Sheikh Abdullah to visit China has been announced from Pakistan, a fact that establishes our

[Shri Hem Barua]

apprehensions that China wants to stiffen her support to Pakistan on the Kashmir issue, may I know whether our Government are in a position to tell us categorically that they are going to tell Sheikh Abdullah not to visit China, and if he visits China not only will his passport be cancelled but he will be physically debarred from re-entry into India?

Shri Swaran Singh: The Prime Minister has already said that he will not be allowed to go to China. If he does not go, then the matter ends there. But if he does go, what action is to be taken we will decide according to the situation. The course suggested by him might perhaps be too mild; we might have to do something more.

Shri Hem Barua: Sir, on a point of order.

Mr. Speaker: He has asked a question and the answer has come. The hon. Minister not only agrees with his suggestion but says that something more shall have to be done. Now is he not satisfied?

Shri Hem Barua: Now I am satisfied.

श्री बागड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.......

ग्रध्यक्ष महोदय : जरा ठहर जाइये । जब मैंने सवाल करने को बुलाया है तब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है ।

Shrimati Savitri Nigam (Banda): May I know whether a formal protest has been sent to the Pakistan Government asking them not to mis-direct any Indian citizen into an unholy alliance with China and whether Kashmir Government was also so asked before granting the passport to Sheikh Abdullah?

Shri Swaran Singh: I do not think any useful purpose will be served by lodging a formal protest to Pakistan. They are pursuing a policy which we know and any lodging of protest in a matter like this will be absolutely useless.

Shri Inder J. Malhotra (Jammu and Kashmir): I would like to know that if Sheikh Abdullah tries to visit China without the properly endorsed passport, what specific steps Government will take to prevent such a visit.

Mr. Speaker: Why should you go into that now.

श्री बागड़ी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है. . .

ग्रध्यक्ष महोदय : मुझे यह ख़त्म कर लेने दीजिये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : शेख ग्रब्दुल्ला ने जो पासपोर्ट में लिखा है कि मैं काश्मीरी नागरिक हूं ग्रौर उस पर पासपोर्ट ग्रधिकारी ने उसको वापिस कर दिया था तब मंत्री महोदय के स्तर पर उन्हें ग्रनुमति दे दी गई यह निर्णय कर लिया गया कि उनको पासपोर्ट दे दिया जाय तो क्या यह बात सही नहीं है कि भतपूर्व प्रधान मंत्री के समय में उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिये पासपोर्ट मांगा था लेकिन हमारी सरकार ने उन को सभी देशों में जाने का पासपोर्ट दे दिया ।

Shri Swaran Singh: Even earlier the passport, I think, was endorsed for some other countries besides Pakistan—I have not actually seen it—but that is immaterial. At that time, he had asked for permission to go to Pakistan and this was allowed to him. I have already said that he has clearly subscribed to the declaration of Indian citizenship. (*Interruptions*).

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: Order, order.

श्री राम सेवक यादव : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय: मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाय ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रब इस तरीक़े से तो यहां की कार्यवाही नहीं चल सकेगी । 4. 4

आदमी एक साथ उठ कर तो नहीं कर सकते हैं । माननीय सदस्य बैठ जायें । स्वामी जी, आप भी बैठ जायें ।

4, 4 या 10, 10 आदमी इस तरह से एक साथ खड़े हो कर बोलना शुरू कर दें और व्यवस्था का प्रश्न उठाना शुरू कर दें तो मेरे लिए यहां की कार्यवाही को चलाना मश्किल हो जायेगा । जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज फिर उसे दुहराना चाहता हूं कि इस तरह से बगैर मेरे बुलाये एक साथ मेम्बर्स बोलना न शुरू कर दें, अगर इस पर अमल नहीं किया जायगा तो मैं भी व्यवस्था का सवाल उठाने की इजाज़त नहीं दूंगा । जिसका व्यवस्था का प्रश्न हो वह खड़ा हो कर केवल इतना कह सकता है कि उसका एक व्यवस्था का प्रश्न है लेकिन मेरे बगैर इजाज़त दिये अगर वह उसके बाद बोलना शुरू कर देगा तो मैं उसको बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री राम सेवक यादव : ऐसा नहीं करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं साफ़ कहे देता हूं कि मैं बिल्कुल इजाजत उस हालत में नहीं दूंगा । अगर मेरी इजाज़त के बगैर कोई बोलता चला जायेगा और बोलते रहने की ज़िद करेगा तो मैं उसे कार्यवाही में रुकावट समझूंगा ।

अब यादव जी बतलायें कि उनका व्यवस्था का क्या सवाल है ?

श्री राम सेवक यादव : मंत्री महोदय से जो यह प्रश्न किया गया था कि क्या यह सही है कि पहले जो पासपोर्ट का प्रार्थनापत्र शेख साहब ने दिया था उस को पासपोर्ट अधिकारी ने अथवा जो सम्बन्धित लोग थे, उन्होंने इसलिए उसको वापस कर दिया था कि उन्होंने उस में अपनी नागरिकता काश्मीरी मुसलमान दिखलाई थी ? मंत्री महोदय इस सीधे सादे प्रश्न का साफ़ साफ़ उत्तर नहीं दे रहे हैं । हम लोग जिम्मेदार हो सकते हैं कुछ गड़बड़ करने के लिये लेकिन जब आप हमें मना करते हैं अथवा टोकते हैं तो हम आप के सामने झुक जाया करते हैं लेकिन साथ ही साथ मंत्रियों की भी तो जिम्मेदारी है कि वे प्रश्न का सीधा उत्तर दें, इस तरह से गोलमाल बात न करें जिससे कि और कन्फ्यूज़न पैदा हो । इस मामले में मंत्री महोदय ने गोलमाल बात कही है, कानूनी दलीलें हैं लेकिन प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया है तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि जाहिर है कि अगर इस तरह से जवाब को टाला जायेगा तो माननीय सदस्यों में एक असन्तोष तो पैदा होगा ही ।

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि इस बात पर कोई व्यवस्था नहीं उठती अगर मेम्बर साहब को यह शिकायत हो कि मिनिस्टर साहब ने जो सवाल भेजा गया था उसका जवाब उन्होंने पूरा नहीं दिया या यह कि उसका साफ़ जवाब उनकी ओर से नहीं आया..........

श्री राम सेवक यादव : बिल्कुल ही नहीं दिया, साफ़ क्या होता है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । क्या मुझे इजाज़त है कि मैं भी बोल सकूं ? किसी वक्त तो कोई ढंग की बात होनी चाहिए । मैं बहुत दफ़े इस बात को बर्दाश्त करता हूं मगर यह क्या बात है कि हर वक्त ही इस तरह से रुकावट हो ? क्या मिनिस्टर साहब इस बात का कोई जवाब देना चाहते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बात ठीक नहीं है कि नीचे के किसी आफ़िसर ने फ़ार्म वापस कर दिया । यह बात बिल्कुल ग़लत है । ऐसी कोई बात नहीं है ।

Shri S. M. Banerjee: Let there be an inquiry into the whole matter.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : शेख साहब ने हज की यात्रा की । मैं यह जानना चाहता हूं कि हज के लिए जो फ़ार्म भरा जाता है, उस में उन्होंने अपनी नेशनलिट क्या दी और यह जो हज के लिए पासपोर्ट इश्यू किया गया, क्या वह पहले का पासपोर्ट था, या नया पासपोर्ट इश्यू किया गया ।

श्री स्वर्ण सिंह : हज के लिए कोई अलाहिदा पासपोर्ट नहीं है । [illegible] एरेबिया के लिए जो पासपोर्ट है वह हज के लिए भी है ।

श्री रघुनाथ सिंह : हज के लिए जो फ़ार्म भरा जाता है, उस में शेख़ अब्दुल्ला ने अपनी नेशनलिटी क्या दी ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए ।

Mr. Speaker: Now Shri Hem Barua might raise his point of order.

Shri Hem Barua: The passport that was granted to Sheikh Abdullah by Shri Jawaharlal Nehru was an Indo-Pakistan passport....

Shri Shinkre (Marmagoa): What is the meaning of 'Indo-Pakistan passport'?

Shri Hem Barua: That was a joint passport meant only for Pakistan.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): There is no joint passport anywhere.

Shri Hem Barua: The passport rules stipulate that that passport meant for Pakistan cannot be endorsed or used for other purposes, that is, for visits to other countries.

When this question cropped up in the other House, the Minister of State said that the decision to give this passport to Sheikh Abdullah was taken at the highest level by the Prime Minister and the External Affairs Minister. But the other day, the External Affairs Minister told us here that this passport was granted to Sheikh Abdullah before he became the External Affairs Minister. Today, he gives us news that he does not know whether that passport given to Sheikh Abdullah by Shri Jawaharlal Nehru for Pakistan contained endorsements for the countries or not. So, there is a lot of discrepancy between the statement in the other House and that in this House. Therefore, I have raised this point of order. And you, Sir, should try to '*Samjhao*' the External Affairs Minister and see that a satisfactory and correct reply is given.

Shri Ranga (Chittoor): Before you say anything about this point of order, I would like to say this. Just now, the hon. Minister was pleased to say that it was by an oversight that this wrong declaration or unsatisfactory declaration in regard to the status of his father and mother was allowed to be passed by the External Affairs Ministry. But in the other House, it had been stated that it was a political decision, when a specific question was put to the hon. Minister why it was that Sheikh Abdullah was allowed to get away with this passport by stating that he was not categorically an Indian citizen but that he was a Kashmiri Muslim or Mohammedan. So, there is a discrepancy between the two answers

Secondly, the information that the hon. Minister has vouchsafed to this House should have been given earlier either in this House or in the other House *suo motu* on his own initiative. Instead of that, he waited for Shri P. R. Chakraverti to get the opportunity of putting that question before he could give this information.

If this is the way this Government is functioning and they give information to this House as well as the other House in such an unsatisfactory manner and expect us to take the chance of extracting the right information which is in the interests of the country itself, to which the hon. Minister himself agrees, then I can only say that the House cannot be

satisfied with the manner in which the Government is dealing with us and with you, the Speaker of the House.

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य, श्री बागड़ी, का भी व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो दूसरे माननीय सदस्यों से पहले उठाया गया था, लेकिन आप ने मुझे पहले इजाज़त नहीं दी ।

विदेश मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए एक बात यह कही कि शेख़ अब्दुल्ला ने अपने आप को काश्मीर का पहले दर्जे का, प्रथम श्रेणी का, नागरिक लिखा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस से सारी दुनिया में हिन्दुस्तान की कौमियत और देश की आज़ादी पर एक किस्म का लांछन लगा कि हिन्दुस्तान में पहले दर्जे का नागरिक काश्मीरी होता है या कोई और होता है । मेरा निवेदन है कि ऐसे ग़ैर-ज़िम्मेदाराना शब्द नहीं आने चाहिएं ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि किसी माननीय सदस्य को आपत्ति तब होती है, जब उस के सवाल का जवाब छिपाया जाता है । सवाल यह किया गया था कि शेख़ अब्दुल्ला को 35,000 रुपया किस आधार पर दिया गया । अगर विदेश मंत्री यह बताते, तो अच्छा होता, कि शेख़ अब्दुल्ला को 35,000 रुपया खास तौर से इस आधार पर दिया गया और दूसरों को इतना रुपया क्यों नहीं दिया जाता है, जैसे पालियामेंट के सदस्य को भी सौ रुपये रोज से ज्यादा नहीं दिया जाता है और उस को 6,000 रुपये से ज्यादा नहीं दिया जाता है ।

एक माननीय सदस्य : 3,000 रुपये।

श्री रघुनाथ सिंह : यह स्पीच है या पायंट आफ़ आर्डर है ?

श्री बागड़ी : लेकिन माननीय शेख़ अब्दुल्ला साहब को 35,000 रुपय दिये गए । आखिर वे कौन सी नवाज़िशें थीं, जिन की वजह से उन को जेल से निकलते ही एक दम इतना रुपया दे दिया गया । मैं निवेदन करूंगा कि हमें ऐसे सवाल उठाने में मजा नहीं आता है । मैं समझता हूं कि ये शब्द तो कार्यवाही से निकाल दिये जाने चाहिए कि उस ने प्रथम श्रेणी का नागरिक लिखा है। अगर हिन्दुस्तान में कोई प्रथम श्रेणी का नागरिक है, तो वे भारतीय हैं, किसी दूसरी जगह के नहीं हो सकते हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, जो आप के ज्ञान में है, मैं वह बात कह रहा हूं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति शेख़ अब्दुल्ला को जानता है कि वह कैसा है । यह जानते हुए भी उस को विदेश का पारपत्र देना और उस के लिए 35,000 रुपये की रकम देना क्या सरकार की धींगा-मुश्ती या महामूर्खता है या नहीं, यह मैं आप से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपोज़ीशन के माननीय सदस्यों के सामने ही यह बात रखता हूं कि सारे क्वेस्चियन आवर में जितने भी पायंट आफ़ आर्डर उठाए गए हैं, क्या उन में से एक भी ऐसा था, जो पायंट आफ़ आर्डर कहला सकता है ।

कुछ माननीय सदस्य : बिल्कुल नहीं ।

Mr. Speaker: It might be a matter for further elucidation or for explanation or for better answer. That is quite different.

Shri Ram Sewak Yadav: Not 'better answer'—There was no answer.

अध्यक्ष महोदय : उनमें से एक भी ऐसा नहीं था, जिस को मैं पायंट आफ़ आर्डर कह सकूं । पायंट आफ़ आर्डर तो वह होता है जिस के बारे में स्पीकर रिलीफ़ दे सके, जिस में स्पीकर को क़ानून, कांस्टीट्युशन या रूल्ज

[अध्यक्ष महोदय]

का मुताला करके यह देखना पड़े कि यहां पर उनका उल्लंघन हो रहा है और उस की बाबत वह फ़ैसला दे। शिकायत यह है कि जो इन्फ़ेमेशन मिली है, वह दुरुस्त नहीं है और उस शिकायत को पायंट आफ आर्डर की तरह उठाया गया है ।

श्री बागड़ी ने इस बात पर बड़ा ज़ोर दिया कि जो फ़र्स्ट क्लास सिटिज़न लिखा गया है, उस बात को निकाल दिया जाये । मिनिस्टर साहब ने कहा है कि फ़ार्म में एक खाना होता है, जिस में बाप की सिटिज़नशिप लिखी जाती है और उस खाने में यह एन्ट्री की गई थी । क्या इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल देने से वह इन को एप्लिकेशन से भी निकाल सकेंगे ? वर्ना इन को निकालने के क्या मानी हुए ? मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इंडिपेंडेंस से पहले काश्मीर में सिटिज़नशिप की क्लासिफिकेशन थी । शेख़ अब्दुल्ला ने बाप की सिटिज़नशिप को डेस्क्राइब करते हुए फ़र्स्ट क्लास सिटिज़न लिखा । हो सकता है कि प्री-इंडिपेंडेंस पीरियड में इस किस्म की क्लासिफिकेशन थी, लेकिन मुझे इस का इल्म नहीं है कि वह क्लासिफिकेशन हो सकती थी या नहीं । लेकिन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वहां पर यह क्लासिफिकेशन थी और उस ने यह लिखा । इस लिए मेरी समझ में नहीं आता कि इस में मुझ से कौन से पायंट आफ़ आर्डर का फ़ैसला मांगा गया है ।

सिर्फ़ आखिर में यह बात आई कि हमें ठीक जवाब नहीं मिल रहे हैं और ठीक जवाब दिलवाया जाये । 35,000 रुपये के मामले में सरकार ने कहा है कि हम ने दिया । जो इन्फ़र्मेशन आ सकती थी, वह आ गई है । जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्यों दिया या बाकियों को क्यों नहीं दिया जाता है, ...

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या और किसी भारतीय नागरिक को इतनी रकम दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीयसदस्य उस के बारे में बहस करना चाहते हैं और कमेन्ट और क्रिटिसाईज़ करना चाहते हैं, तो वह उस के लिए कोई और तरीका अख्त्यार करें । एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री की ग्रान्टस आ रही हैं । माननीय सदस्य डिस्कशन भी मांग सकते हैं । लेकिन इन बातों को पायंट आफ़ आर्डर की शक्ल में कैसे उठाया जा सकता है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस में मेरा नाम भी है । मैं ने इस बारे में सब से पहले कालिंग एटेंशन नोटिस दिया था और उस के सम्बन्ध में आप से पत्र व्यवहार भी हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास तो नाम नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य सवाल कर लें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या विदेश मंत्रालय को लंदन स्थित हमारे हाई कमिश्नर के कार्यालय से इस प्रकार की सूचना भी मिली है कि लंदन में शेख़ अब्दुल्ला की जो प्रेस-कांफ्रेंस आयोजित की गई और उन्होंने जो सार्वजनिक सभा की, जिस में काश्मीर के मुसलमानों को आमंत्रित किया गया था, उन दोनों का आयोजन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के कर्यालय के द्वारा हुआ और उस सभा में काश्मीरी मुसलमानों की ओर से 32,000 पौंड स्टर्लिंग इकट्ठा कर के शेख़ अब्दुल्ला को दिये गए ? और उस में अब्दुल्ला ने यह घोषणा की कि मैं आपको इस रुपये के बदले में आश्वासन देता हूं कि स्वतंत्र काश्मीर की सरकार का शीघ्र ही निर्माण करने की घोषणा करूंगा. क्या ऐसी कोई सूचना आप को मिली है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बात ठीक है कि उनका हाई कमीशन लंदन और एम्बैसी, पेरिस के साथ सम्बन्ध रहा है और ....

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हीं के महमान रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : महमान तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन उन से मेल जोल और उनकी तरफ से इंतज़ाम वगैरह रहे हैं यह बहुत ही गैर-वाजिब है। क्या कुछ प्रेस कांफ्रेंस में कहा उसकी पूरी तफसील का तो पता नहीं है ....

श्री स० मो० बनर्जी : पता नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सारी प्रेस कान्फ्रेंस की जो प्रेस रिपोर्ट आई है वह हमारे पास है। उन्होंने वहां जो काश्मीर के बारे में कहा वह ऐसा है जैसा वह यहां कहते थे। न यहां के उनके बयान हमें पसन्द हैं और न वहां के पसन्द हैं।

अध्यक्ष महोदय : रुपया जो वहां इकट्ठा किया गया था।

श्री स्वर्ण सिंह : रुपये का हमें इल्म नहीं है जो वहां से दिया गया है।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय—

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा निवेदन आप सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : आप अब रुकावट न डालें।

श्री रामेश्वरानन्द : अब्दुल्ला को जानते हुए भी जो इतना रुपया उसको दिया गया, भारत की निर्धन जनता का इतना रुपया उनको बहाने के लिए दिया गया, उसका क्या मतलब है ? कैसे आपको इस तरह से रुपया देने का अख्त्यार था ?

12.31½ hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AUDIT REPORT, POSTS AND TELEGRAPHS, 1965 ETC.

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(i) Audit Report, Posts and Telegraphs, 1965, under article 151(1) of the Constitution.

[*Placed in Library, see* No. LT-4103/65].

(ii) Appropriation Accounts, Posts and Telegraphs, 1963-64.

[*Placed in Library, see* No. LT-4104/65].

PETROLEUM AND NATURAL GAS (AMENDMENT) RULES

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): I beg to lay on the Table a copy of the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 1965, published in Notification No. G.S.R. 339 dated the 6th March, 1965, under section 10 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948.

[*Placed in Library, see* No. LT-4095|65].

NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951.—

(i) The All India Services (Provident Fund) Amendment